न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 402

दिनांक 11/02/2022

प्रार्थीगण :-
1.शोभाराम 2.चीमाराम 3.चुतराराम पि. जगमालराम, 4.जतनों पत्नि चीमाराम जातियान जाट, निवासी भोजारिया तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-
1.माधाराम 2.हड़वंता 3.मूलाराम पि. अजीम 4.भेराराम 5.पूनाराम पि.खानु 6.हाकम पुत्र दूदाराम, जातियान मेगवाल, निवासी भोजारिया तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 102/2021

दिनांक : **10.02.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र भोजारिया के मौजा भोजारिया के खेत खसरा सं. 302 रकबा 15.11 बीघा, खसरा सं. 316 रकबा 64.06 बीघा एवं मौजा छोटा भोजारिया के खसरा सं. 410/317 रकबा 30.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 403 to 406

दिनांक 11/02/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण शोभाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण माधाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:08:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन